

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

ई-मेल/फैक्स

सेवा में,

चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
मुख्य विद्युत अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक),
सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता,
सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक-

विषय:- GATE Score के आधार पर संविदा आधारित नियोजित सहायक विद्युत अभियंता की नियोजन अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-1882(भ) दिनांक-18.02.2019 के द्वारा GATE Score के आधार पर संविदा आधारित कुल 31 सहायक विद्युत अभियंता एवं 08 सहायक अभियंता (यांत्रिक) का नियोजन 01 वर्ष के लिए किया गया था जिसका नियोजन अवधि दिनांक-17.02.2020 को समाप्त हो रही है।

उक्त नियोजन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1914 दिनांक-18.02.2019 एवं पत्रांक-1915 दिनांक-18.02.2019 द्वारा आपके कार्यालय में पदस्थापित उक्त नियोजित सहायक विद्युत अभियंता एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) का नियोजन अवधि विस्तार हेतु उनके कार्यकलाप से संबंधित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, बाकी/बेबाकी से संबंधित प्रतिवेदन एवं आरोप/अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में उनका नियोजन अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 850 (भ)

पटना, दिनांक:- 27.1.2020

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रभारी निगरानी प्रशाखा/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, निगरानी प्रशाखा से अनुरोध है कि उक्त नियोजित सहायक विद्युत अभियंता एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के संबंध में आरोप/निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव।

27/1/20